

Date: 27-08-2018

DISTRICT QUALITY ASSURANCE COMMITTEE

FAMILY PLANNING INDEMNITY SCHEME MEETING
(FAMILY WELFARE)

आज दिनांक 27-08-2018 को DQAC & FPIIS (FW) की मीटिंग का आयोजन दोपहर 3:00 बजे डा. एस. के. नैन, सिविल सर्जन महोदय कैंथल की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/पदाधिकारियों ने भाग लिया।

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
	Dr. Renu Chahal	smo gyne	9812144406	
	Dr. Kiran	gynecologist	9812108139	
	Dr. Omprakash	Obstetrician	9466221144	
	Dr. Q.D. Choudhary	Surgeon SMO	9812144405	
	Bela Rani	NIS	9996129441	
	Dr. Anil K. Agarwala	M.O. CHH	9466570778	
	Dr. Puneet K. Singh	M.B.B.S. M.D (Medicine)	7015576540	
	Dr. Jyoti	Gynecologist	9029052054	
	Rajesh Indera	A.D.A	7206968605	
	Dellag Singh	APRO	9255479182	

PROCEEDING

DISTRICT QUALITY ASSURANCE COMMITTEE

FAMILY PLANNING INDEMNITY SCHEME

MEETING ON DATED 27-08-2018

दिनांक 27-08-2018 को दोपहर 3:00 सिविल सर्जन महोदय कैथल के कार्यालय में डा. एन. के. नैन, सिविल सर्जन कैथल की अध्यक्षता में DQAC के FPIS (FW) मिटिंग का आयोजन किया गया। जिन उक्त मिटिंग के सदस्यों ने भाग लिया।

सिविल सर्जन महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए मिटिंग का आरम्भ मिटिंग के एजेन्डा में रखे गए बिन्दु अनुसार विचार-विमर्श किया गया।

मिटिंग में परिवार कल्याण के अन्तर्गत फेल्टर चार केसों पर विचार-विमर्श किया गया।

→ प्रथम केस शीना पत्नी राजेश निवासी गांव पर्यौदा जिला कैथल द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का कमेटी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त उक्त केस को FPIS (2018-19) के दिशा-निर्देशानुसार कमेटी के सदस्यों ने Compensation देने की सहमति जताई।

इसके अतिरिक्त सिविल सर्जन द्वारा निर्देश जारी किए कि जिस भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बन्धीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, उस पर अर्जों पुरा नाम व हस्ताक्षर होने चाहिए।

→ द्वितीय केस मीना पत्नी अजमेर, गांव सेरधा, राजौन्द जिला कैथल के दस्तावेजों पर विचार-विमर्श किया गया। मिटिंग के सदस्यों द्वारा उक्त Tubectomy Failure केस को FW Compensation की (Old Guideline) के अनुसार

के मुआवजा देने की सहमति जताई।

→ तृतीय केस पप्पु पुत्र क्यूर गांव खरकपाण्डवा, जिला कैथल व चतुर्थ केस दशन पुत्र भास्त गांव पोण्ड। सीवन जिला कैथल, दोनों Vasectomy केस का Semen डॉ आरु डॉ चावला द्वारा अपनी देखरेख में करवाया जाएगा तथा रिपोर्ट आने उपरान्त ही उक्त दोनों केसेस को निदेशालय द्वारा दिए गए निदेशानुसार मुआवजा देने पर कमेटी के सदस्यों ने सहमति जताई। उक्त रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर - 2 देने के लिए सिविल सर्जन महोदय ने डॉ आरु डॉ चावला को आदेश दिया।

इसके उपरान्त सिविल सर्जन महोदय कैथल द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए मिरिंग का समापन किया।

27/8/18

27/8/18

27/8/18

27/8/18

27/8/18
Dr. Anil Kumar

27/8/18

Dr. Shivan
27/8/18

27/8/18

27/8/18

27/8/18

27/8/18

27/8/18